

भूमिधर एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के बीच हुए करार

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित मोटर मार्गों हेतु लो०नि०वि० को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि की अन्य प्रयोजन हेतु गारंटी नहीं है।

क्रम सं०	मोटर मार्ग का नाम	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम	राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र	क्षेत्रफल
1	लमगड़ा से डाठ गोंव तक मोटर मार्ग	डुगरा	भनोली	2.340 है०
2	शहरफाटक से दो घोडिया तक मोटर मार्ग	खोला	पनुवानौला	9.500 है०
3	पूनागढ़-नाटाडोल मोटर मार्ग से सैम मन्दिर से नौली तक मोटर मार्ग	डरसीली	दन्या	3.094 है०
4	शहरफाटक-भाबू मोटर मार्ग से ग्राम क्वेटा-सुरखाल-निरई तक मोटर मार्ग	चट्थी	काफली	5.184 है०
5	ऐरोली से मोरपट्यूडी मोटर मार्ग का निर्माण	गेना	सैलाकोट	3.240 है०


राजस्व उप निरीक्षक,
राजस्थान राज्य, जो० नि० वि०
जयपुर, १


भूमिधर प्रभियक्ता,
राजस्थान राज्य, जो० नि० वि०
जयपुर, १


 ०००९

